संख्या-1/2026/ए-2-01 /दस-2026-24(7)/95

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकारों में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मदें, अनुलग्नक में सम्मिलित हैं, उनके बारे में कालम-5 में अंकित पूर्व प्राधिकार तदनुसार संशोधित/ निरस्त समझे जायेंगे।

3- शेष प्राधिकार जो वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1, द्वितीय संस्करण (यथा संशोधित) एवं वित्तीय प्रतिनिधायन से संबंधित समय-समय पर निर्गत पूर्व आदेशों में उल्लिखित हैं, वे यथावत रहेंगें।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1/2026 /ए-2-01 /दस-2026-24(7)/95, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2-प्रधानमहालेखाकार, (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ ।

4-प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

5-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

7-निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3 इंदिरा नगर, लखनऊ।

8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1/2026/ए-2-01 /दस-2026-24(7)/95 का अनुलग्नक

विवरण पत्र -।।। ''मकान का किराया''

क्रम संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमायें	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
2	अनावासिक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिये किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना।	1-विभागाध्यक्ष एवं 2- मण्डलायुक्त	(1) गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ में:- रूपये 40.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 1,00,000 रूपये प्रति मास होगी। (2)मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में (उपर्युक्त क्रमांक -(1) में सम्मिलित जनपदों को छोड़कर) रूपये 20.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 80,000 रूपये प्रतिमास होगी।	शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25 नवम्बर, 2011
		।	(3) एक लाख जनसंख्या से ऊपर के अन्य नगरों में - रूपये 16.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 50,000 रूपये प्रतिमास होगी।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

			(4) एक लाख जनसंख्या से कम के नगरों में रूपये 12.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 30,000 रूपये प्रतिमास होगी।	
			(5) ग्रामीण क्षेत्रों में:- रूपये 4.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक। प्रतिबन्ध प्रत्येक दशा में यह है कि कार्यालय के लिए जगह वित्त विभाग के शासनादेश संख्यां- सी-2299/दस-एच-639-61, दिनांक 08 जून 1965 में निर्धारित मानक नमूने के अनुसार ली जाये। टिप्पणी -1- उपरोक्त सीमा अधिकतम सीमा है और विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त द्वारा अधिक से अधिक सस्ता स्थान प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए। टिप्पणी -2 "कारपेट एरिया" का तात्पर्य भवन के ‘‘फ्लोर एरिया" से है जिसमें किचेन, बाथरूम, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसेज के फ्लोर एरिया शामिल नहीं होंगे। टिप्पणी-3 जनपद व मण्डल स्तर के कार्यालय अपना किराया निर्धारण मण्डलायुक्त के स्तर पर करायेंगे। टिप्पणी-4 शेष कार्यालय जिसमें मुख्यत:	

http://shasanadesh.up.gov.in

			विभागाध्यक्ष स्तर के कार्यालय होंगे, विभागाध्यक्ष से अपना किराया निर्धारित करायेंगे। टिप्पणी-5 विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों की सीमा से अधिक के मामले शासन के प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे।	
		3-प्रशासनिक विभाग	पूर्ण अधिकार, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः- (1) रेण्ट कण्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगर पालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहाँ इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध न हो, वहाँ किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और संबंधित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो। (2) जहाँ कि भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश सं0 सी-2299/ दस-एच-639-61,दिनांक 08 जून,1965 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ठ ध्यान रखना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवश्यकताओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिपण्णी-1 सरकारी कार्यलयों के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेंगी।	
			(1) ऐसे भवन जो रेण्ट कण्ट्रोल एक्ट की परिधि के बाहर है को किराये पर लेने के लिए विभाग को स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले तीन प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक	

http://shasanadesh.up.gov.in

			समाचार पत्रों में दो बार लगातार कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराना चाहिए। विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से कराना आवश्यक न होगा। (2) विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों (ऑफर) पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी और जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा जिसके उपरांत ही सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया कमेटी की संस्तुति पर स्वीकृत किया जा सकेगा। (3) किराये के औचित्य का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेण्ट कंट्रोल आफिसर द्वारा दिया गया प्रामण-पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा। टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया/ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराये का औचित्य प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये परगनाधिकारी टिप्पणी-2 - सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन रेण्ट कण्ट्रोल	

http://shasanadesh.up.gov.in

			एक्ट के अन्तर्गत आ गये हैं, उन भवनों के किराये में वृद्धि के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।	
			सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत आ गये हैं, यदि उनका किराया बढ़ाने की माँग मकानदार द्वारा की जाती है तो उसे उसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 21 (8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, मकानदार के आवेदन पत्र पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है, जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा, किंतु अग्रेतर वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का आवेदन पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्तें तय हो चुकी हों तो, उस अवधि तक किराये की वृद्धि संभव नहीं होगी।	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।